मई 2012 में आयेाजित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियेाजना 2

नियोजित स्वयं सेवी संस्था से अपेक्षित कार्य

1. भूमिका

परियेाजना अंतर्गत सामूदायिक संगठन विकास एवं सुदृढिकरण हेतु प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन ईकाई स्तर पर विस्तृत चयन प्रकिया अपनाकर एक समर्पित स्वयं सेवी संस्था का नियेाजन किया गया है। चयनित संस्था से अपेक्षित है कि वह मण्डल स्तर पर एक समन्वयक (कोर्डिनेटर), क्षेत्र प्रबन्धन ईकाई (रेंज) स्तर पर एक टीम लीडर , एक माईक्रो फाईनेन्स अधिकारी व एक विकास अधिकारी नियोजित करेगी। स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्मिकों के नियेाजन व कार्य निष्पादन व सम्पादन के सबंध में परियोजना निदेशक , राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियेाजना 2 ने अपने पत्र दिनांक 14.02.2012 से दिशा निर्देश जारी किये हैं। साथ ही चयन हेतु जारी निविदा अभिलेख में भी कार्य के सबंध में जानकारी दी गई है। सभी नियेाजित स्वयं सेवी संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे उक्तानुसार अपना कार्य सम्पादित करें।

2. परियेाजना में संस्था का उद्देश्य

परियेाजना में नियेाजित स्वयं सेवी संस्था को निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करना है :

"परियेाजना के कार्य क्षेत्र में परियेाजना कार्य के हितधारकों का ऐसा समर्थ, सक्रिय व सुदृढ संगठन का निमार्ण व विकास करना जो न सिर्फ परियेाजना के कार्य को अपेक्षा अनुरूप क्रियान्वित कर सके बल्कि परियेाजना में सृजित परिसम्पत्तियों का नियमित संधारण कर सके और परियोजना से प्राप्त सभी प्रकार के लाभ का समुचित वितरण सुनिश्चित करते हुए समाज व प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक उन्नयन में प्रभावी भूमिका अदा कर सके।

3. संस्था हेतु कार्य की ईकाई

परियोजना में कार्य का क्रियान्वयन उपयुक्त चयनित ग्राम में किया जाना है। परियेाजना में ग्रम से तात्पर्य राजस्व ग्रम से नही है बल्कि राजस्व ग्रम अथवा उससे छोटी उसकी ऐसी ईकाई से है जिसकी राज्यादेश दिनांक 17.10.2000 के अनुसार वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित की जा सके या राज्यादेश 24.10.2000 के अनुसार पारिस्थितिकी विकास समिति बनाई जा सके। परियोजना में संस्था हेतु कार्य की ईकाई उक्तानुसार परिभाषित ग्राम / उससे छोटी ईकाई होगी। संस्था कार्मिकेां ये अपेक्षा है कि वे उपरोक्त राज्यादेशों का भली भांति अध्ययन करें तथा तदानुरूप कार्य करें।

4. संस्था हेतु कार्य की अवधि

प्रत्येक ग्राम में संस्था का पांच वर्ष के लिये कार्य करना है। हालांकि संस्था से कार्य का अनुबन्ध दो वर्ष के लिये किया गया है परन्तु संस्था के कार्य को दृष्टिगत रख कर इसे बढाया जा सकता है।

(2)

(2)

5. नियोजन के साथ ही संस्था के प्रारम्भिक कार्य

परियोजना में अपेक्षित अनुबन्ध होने व कार्य आदेश प्राप्त करने के साथ ही संस्था को निम्न कार्य करने हैं :

1. **अपने प्राम्भिक कार्यदल / कार्मिको का नियेाजन व उनका कार्यस्थल पर पदस्थापन** – संस्था को सर्वप्रथम अपना समन्वयक, एक टीम लीडर , एक माईको फाईनेन्स अधिकारी व एक विकास अधिकारी अविलम्ब कार्यस्थल पर पदस्थापित करना है।

2. **परियोजना अधिकारी व उनक टीम से विचार विमर्श व चर्चा** – अपने उक्त कार्यदल के साथ संस्था को सबंधित परियेाजना अधिकारी व उनकी टीम से सम्पर्क स्थापित कर परियेाजना की गतिविधियों व कार्य के संबंध में विस्तार से चर्चा व विचार विमर्श करना है ताकि कार्य के संबंध में आपसी समझ विकसत हो सके।

3. **परियेाजना के महत्तवपूर्ण बिन्दओं व विशेषतओं की जानकारी** – संस्था के कार्मिकों से अपेक्षित है कि वे परियेाजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करे तथा उसकी बारिकीयों को समझें। विशेषकर परियोजना में कार्य कियान्वयन की प्रकिया, जन सहभागिता व सामुदायिक संगठन विकास तथा ग्राम चयन के मापदण्ड के पहलू को महराई से अध्ययन कर उसके बारे में अपन योजना तैयार करे।

4. **विस्तृत कार्य कियान्वयन येाजना तैयार करना** – निविदा की शर्तो में अंकित प्रावधान के अनुसार अपने नियेाजन से एक माह की अवधि मे संस्था का परियेाजना अंतर्गत अपने कार्य कियान्वयन के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर परियेाजना अधिकारी , मण्डल प्रबन्धन ईकाई को प्रस्तुत करना है। उक्त प्रतिवेदन तैयार करने की कारवाई में संस्था को नियमित तौर पर विभाग के अधिकरियों व कर्मचारियो से विचार विमर्श करना है ताकि प्रभावी योजना तैयार हो सके। संस्था को परियेाजना अधिकारी से परियेाजना में लिये जा सकने योग्य संभावित ग्राम / ग्रम समह की जानकरी प्राप्त करनी है । उक्त ग्राम / ग्राम समूह के क्षेत्र का भ्रमण कर , ग्राम वासियों से चर्चा कर , ग्राम के क्षेत्र में वृक्षारेापण हेतु उपल्ब्ध भूमि एवं अन्य जानकारी एकत्रित कर प्रारम्भिक अनुमान करना है कि उक्त ग्राम / ग्राम समूह परियेाजना के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार परियेाजना में सम्मिलित किये जाने योग्य है अथवा नहीं। उक्त जानकारी व आंकलन के आधार पर संस्था को अपने कार्य कियान्वयन के संबंध में एक विस्तृत कार्य येाजना प्रस्तुत करनी है। इस सबंध में विस्तृत दिशा निर्देश परियेाजना निदेशक द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.04.2012 से जारी किये गये है। (प्रति संलग्न)

6. प्रत्येक ग्राम में प्रथम वर्ष में संस्था से अपेक्षित कार्य

परियेाजना में सामूदायिक संगठन विकास एवं सुदृढीकरण का कार्य अत्यंत ही महत्तवपूर्ण है तथा उसे अत्यंत ही गभीरता से किया जाना है। संस्था द्वारा प्रत्येक ग्राम में लिये जाने वाले कार्य संस्था से किये गये अनुबन्ध में वर्णित है। संस्था द्वारा प्रत्येक ग्राम में प्रथम वर्ष में निम्न कार्य उनके निर्धारित समायावधि में कराये जाने अपेक्षित है :

	ग्राम्य वर्ष	वर्ष प्रथम			
	त्रैमास संख्या	1	2	3	4
1	**ग्राम चयन कार्य**				
1.1	ग्राम समूह व ग्रामों की आधारभूत जानकारी एकत्रित कर परियोजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ग्राम चयन करना				
2	**वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति / पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन व सुदृढीकरण कार्य**				
2.1	वनक्षेत्र पर निर्भर अथवा उसके हितधारकों की पहचान करना।				
2.2	हितधारक समुदाय को प्रेरित कर राज्यादेश अनुसार VFPMC/EDC का गठन करना।				
2.3	VFPMC/EDC का नियमानुसार पंजीकरण कराना व बैंक में खाते खुलवाना				
2.4	ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता की पहचान करना तथा समिति से उसका प्रस्ताव अनुमोदित करना।				
2.5	समिति सदस्यों व ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता का प्रशिक्षण करना				
2.6	VFPMC/EDC की नियमित बैठके कराना तथा रिकार्ड संधारित कराना				
2.7	VFPMC/EDC की मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कराना व भिजवाना ।				
2.8	VFPMC/EDC की त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कराना व भिजवाना ।				
2.9	VFPMC/EDC के सदस्यों के साथ परियोजना के कार्यों का निरीक्षण करना, निरीक्षण नोट तैयार कर भिजवाना				
2.10	VFPMC/EDC /SHG के लेखों व खातों का अर्द्धवार्षिक मिलान कर प्रतिवेदन मप्रई भिजवाना				
2	**सूक्ष्म नियोजना तैयार करना**				
2.1	PRA, RRA अथवा अन्य स्थापित विधियें से सूक्ष्म नियोजना तैयार करने का कार्य करना ।				
2.1	सूक्ष्म नियोजना का VFPMC/EDC से अनुमोदित कराना व मप्रई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना				

	त्रैमास संख्या	1	2	3	4
2.3	सूक्षम नियोजन के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करना	1			
2.4	वार्षिक कार्य योजना का मप्रई से अनुमोदन कराना	1			
2.5	समुदाय की सहभागिता का नियमित आंकलन करना व त्रैमासिक प्रतिवदेन प्रस्तुत करना ।				
2.6	VFPMC/EDC/SHG के कार्यों का अर्द्धवार्षिक सामाजिक अंकेक्षण करना व अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करना ।				
3	**कृषि वानिकी कार्य में सामूदायिक सहभागिता विकास**				
3.1	ग्राम में कृषि वानिकी में पौध तैयारी हेतु आवश्यक स्वयं सहायता समूह तैयार करना				
3.2	कृषि वानिकी हेतु तैयार स्वयं सहायता समूह को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कराना व उनका क्षमता संवर्द्धन करना				
3.3	ग्राम में कृषि वानिकी हेतु आपसी विचार विमर्श से प्रजातियों का चयन करना				
3.4	ग्राम में कृषि वानिकी हेतु प्रजातिवार मांग का आंकलन करना				
3.5	गठित स्वयं सहायता समूह से पौध तैयारी कार्य कराना				
3.6	कृषि वानिकी समूह द्वारा किये जा रहे कार्यों को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना				
4	**संचार, प्रचार, प्रसार व विस्तार कार्य**				
4.1	जन जागृति शिविरों का आयोजना				
4.2	मण्डल प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समिति सदस्यों की कार्यशाला / सेमीनार आयेाजित करना				
4.3	विस्तार शिविर आयेाजित करना				

	त्रैमास संख्या	1	2	3	4
4.4	क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयेाजित करना				
5	**गरीबी उन्मूलन व आजिविका संवद्धन कार्य**				
5.1	समिति के सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों में से स्वयं सहायता समूह बनाने की दृष्टि से संभावित आय संवर्द्धन गतिविधियों की पहचान करना ।				
5.2	आय संवर्द्धन गतिविधियों हेतु संभावित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की पहचान करना व समूह बनाना				
5.3	स्वयं सहायता समूह सदस्यों का आवश्यक तकनीकी व प्रबन्धकीय प्रशिक्षण प्रदान करना				
5.4	स्वयं सहायता समूहों के लिये साख सम्पर्क (credit linkages) उपलब्ध कराना				
6	**अन्य विविध कार्य**				
6.1	परियेाजना प्रबोधन हेतु आधारभूत आंकडे एकत्रित करना				